[2018] 11 एस.सी.आर. 687

मैसर्स ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड।

बनाम

मैसर्स बीकन शिपिंग लाइन्स लिमिटेड। श्री मोहम्मद एस. असलम प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और अन्य

(मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 20/2012)

सितम्बर 19, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, *1996*–एस*.11 (9)* – मध्यस्थ की नियुक्ति के तहत – याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच एजेंसी समझौता – याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा समझौते के विभिन्न नियमों और शर्तों के उल्लंघन का दावा करते हुए, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की – अभिनिर्धारित किया गया*:* समझौते में एक मध्यस्थता खंड मौजूद है जो निर्धारित करता है कि कोई भी विवाद या समझौते के अंतर्गत और/या इसके संबंध में और/या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले मतभेद, जब तक कि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हो जाते, मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे – विवाद उत्पन्न हो गए हैं और अनसुलझे बने हुए हैं – सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा को पार्टियों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 20/2012

दिनांक 31.03.2010 के एजेंसी समझौते के सी.एल.5(1) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत।

सी. एन. श्री कुमार, सुश्री रस्मिता चंदन, अमित शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया

दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति 1. याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 11(9) के तहत इस याचिका के माध्यम से धारा 5(1) के अनुसार मेसर्स ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड और मेसर्स बीकन शिपिंग लाइन्स लिमिटेड के बीच एजेंसी समझौता दिनांक 31.03.2010 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्ता एक भारतीय कंपनी है और प्रतिवादी कंपनी बांग्लादेश में पंजीकृत है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में परिचालन है और यह सक्रिय रूप से विविध गतिविधियों में लगी हुई है, जिसका मुख्य व्यवसाय शिपिंग, विशेष रूप से कंटेनरीकृत कार्गो का परिवहन है। इसकी गतिविधियाँ दुनिया भर में विभिन्न शिपिंग परिचालनों से संबंधित हैं और इसलिए, यह ऐसे कार्यों के लिए और उसकी ओर से विभिन्न देशों में एजेंटों को नियुक्त करती है। इसमें "ट्रांस एशिया लाइन" के नाम से उनका संयुक्त परिवहन संचालन शामिल है। यह आग्रह किया जाता है कि संयुक्त परिवहन परिचालन के संबंध में 31 मार्च, 2010 से नवीनीकृत वैध अस्तित्व वाला समझौता 31 मार्च, 2012 को ही समाप्त कर दिया गया था। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी ने एजेंसी समझौते के विभिन्न नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जिसके कारण पार्टियों के बीच विवाद हुआ। याचिकाकर्ता 134875.8829 अमेरिकी डॉलर का बकाया वसूलने का हकदार है। यह दिखाने के लिए विभिन्न दस्तावेज़ दाखिल किए गए हैं कि राशि कैसे देय है। यह दावा किया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रतिवादी को मध्यस्थता नोटिस भेजकर अनुरोध किया था कि वह इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मध्यस्थ को नामित करे ताकि मध्यस्थता बोर्ड विवादों से निपट सके, फिर भी प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रार्थना की है।

3. नोटिस की तामील के बावजूद, प्रतिवादी संख्या की 1 और अन्य उत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई है जो प्रतिवादी संख्या 1 की कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक हैं।

4. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सी.एन. श्री कुमार को सुना है जिन्होंने हमारा ध्यान समझौते के खंड 18 और 19 की ओर आकर्षित किया है। उक्त खंड इस प्रकार हैं:–

"18. शासी कानून

यह समझौता भारतीय कानून के अनुसार शासित और समझा जाएगा।

19. विवाद और मध्यस्थता

इस अनुबंध के अंतर्गत या इसके बाहर या इसके संबंध में और/या इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, जिसे पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है, मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा और भारत के कानून द्वारा शासित होगा। प्रत्येक पक्ष ऐसे मध्यस्थों को शक्ति प्रदान करते हुए एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, जो, यदि आवश्यक हो तो एक अंपायर नियुक्त करेगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी, और भारतीय कानून द्वारा शासित होगी।"

5. उपरोक्त खंडों के अवलोकन पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक मध्यस्थता खंड मौजूद है और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि समझौते के तहत और/या बाहर या उसके संबंध में और/या समझौते से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद जब तक सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान न हो जाए, मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाद उत्पन्न हुए हैं और अनसुलझे बने हुए हैं। तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने में और मध्यस्थता द्वारा विवाद के निर्धारण के लिए मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, हम पार्टियों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, जो पहले इस न्यायालय के न्यायाधीश थे, को नियुक्त करते हैं।

6. रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति एकमात्र मध्यस्थ को भेजने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भी इसे मध्यस्थ के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र हैं।

7. तदनुसार, मध्यस्थता याचिका की अनुमति दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

याचिका स्वीकृत।

Translated By:
Rang Nath Tripathi
Advocate